राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3)विभाग

कमांक– प.13(15)साप्र/3/83 जयपुर,दिनांक 15-2-08

समस्त संभागीय आयुक्त/

समस्त जिला कलेक्टर/

समस्त विभागाध्यक्ष ।

परिपत्र

प्रायः यह देखने मे आया है कि कई विभागाध्यक्ष /नियुक्तिकर्ता अधिशेष कार्मिक/कार्मिको का आवंटन कर दिये जानें पश्चात कार्मिक/कार्मिको को निम्न टिप्पण के साथ लौटा देते है

"जिन पदो के विरूद्व कार्मिक/कार्मिकों का आवंटन किया गया है वे पद राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि के है अथवा पद राजस्थान लोक सेवा आयोग को कार्मिक विभाग के माध्यम से सूचित करा दिये है . इस स्थिति में अधिशेष कार्मिकों को लेना असंभव है "।

उक्त स्थिति में अधिशेष कार्मिकों की लौटाफेरी में अनावश्यक पत्राचार एवं समय का अपव्यय होता है जबकि नियम 9 में वर्णित प्रावधानो के अन्तर्गत किसी भी प्रकति के रिक्त पद के विरुद्व अधिशेष कार्मिक को प्राथमिकता देकर नियुक्त किया जाना आवश्यक है ।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष/नियक्तिकर्ता से अनुरोध है कि वे राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम,1969 के नियम 2 व सहपठनीय नियम 9 के प्रावधानों का दृष्टिगत रखते हुए कृपया भविष्य में लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों की सूचना देने से पूर्व ऐसे पदों-हेतु उपयुक्त अधिशेष कर्मचारी उपलब्ध नही है का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त करवा ले इसी प्रकार लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के सीधी भर्ती यथा विज्ञापन/नियोजन विभाग अथवा अन्य माध्यम जैसे पदोन्नति /स्थानान्तरण/अर्न्तविभागीय स्थानान्तरण से भरे जानें वाले समस्त रिक्त पद भरनें से पूर्व अनुपलब्धता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि महालेखाकार ने बिना एनएसी के नियुक्ति देने पर अपना ऐतराज उठाया है । अतः भविष्य में बिना एन.ए.सी. के कोई पद न भरा जाये। इन निर्देशो की पूर्ण अनुपालना हो इसको अपने स्तर से सुनिश्चित कर लिया जाए । इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उत्तरदायी होगा ।

कृपया इसकी प्राप्ति सूचना भिजवावें ।

(तपेश पंवार)

शासन सचिव

1. निदेशक जन सम्पर्क विभाग को प्रेषित कर लेख है कि किसी भी प्रकाशन हेतु विभाग से रिक्त पदों को भरने हेतु उनके विज्ञापन प्राप्त हो तो विज्ञापन की एक अतिरिक्त प्रति पहले से ही प्राप्त कर कृपया इस विभाग को भिजवाये जानें की व्यवस्था करावें ।
2. समस्त कोषाधिकारियों को प्रेषित कर लेखे है कि बिल पारित करनें के पूर्व इसे सुनिश्चित कर लिया जाए कि रिक्त पद को भरनें के लिए सक्षम स्तर से एनएसी प्राप्त कर ली गई है । नियुक्ति हेतु एन.ए.सी. नहीं होने पर प्रकरण इस विभाग के ध्यान में लाया जाये।

शासन सचिव